

2838
सं.- मुख्य सचिव / फैसला
दिनांक 25/3/2015

लेखालय नं०८७
२५/३/२०१५
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य, ग्रामीण आजाविका मिशन,
उत्तराखण्ड

दिनांक 13 मार्च, 2015 को एस०पी०एम०य०० की कार्यकारी निकाय की बैठक का कार्यवृत्त

कार्यालय अपर मुख्य सचिव
वन एवं विकास आयुक्त
पत्र लंब्जा ३९६ / अ.मु.स. / २०

दैत्यराज दिनांक १३-३-२०१५ को अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास महोदय की अध्यक्षता में राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई की कार्यकारी निकाय की बैठक आयोजित की गयी जिसमें कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया (सूची संलग्न)।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, य००एस०आर०एल०एम० द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त कर उपस्थित सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुये बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण दिया गया तथा निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी व निर्णय लिये गये:—

बिन्दु संख्या १ – गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि :—

एस०पी०एम०य०० की कार्यकारी निकाय दिनांक २१ जुलाई २०१४ की कार्यवाही की पुष्टि की गयी तथा गत बैठक की पुष्टि के दौरान निम्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं निर्णय लिये गये:—

- अपर सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के दो विकासखण्डों कमशः

सहसपुर, जनपद देहरादून तथा विकासखण्ड सितारगंज, जनपद उ०सि०नगर को राजीव गांधी महिला विकास परियोजना द्वारा रिसोर्स ब्लॉक रणनीति के तहत कियान्वित किये जाने गये बिन्दुओं पर कार्यकारी निकाय द्वारा अनुमोदन दिया गया था। य००एस०आर०एल०एम० अधिप्राप्ति

नियमावली अस्तित्व में आने के फलस्वरूप रिसोर्स ब्लॉक रणनीति के तहत चयनित की जाने वाली संस्था का चयन अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार किये जाने पर शासन स्तर से निर्णय लिया गया है। तदानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत ई०ओ०आई के माध्यम से संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। कुल तीन संस्थाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुये किन्तु उन तीन संस्थाओं को पर्वतीय क्षेत्रों में एन०आर०एल०एम का कार्यानुभव नहीं है जबकि आर०जी०एम०वी०पी० संस्था, रायबरेली का हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश द्वारा वन एवं ग्राम्य विकास अनु०आर०एल०एम० रणनीति में कियान्वयन अनुभव को देखते हुये रिसोर्स विकासखण्ड को विकसित किये जाने हेतु कार्यान्वयन संस्था के रूप में लिये जाने पर निर्णय लिया उचित होगा।

उक्त बिन्दु पर कार्यकारी निकाय द्वारा निर्णय लिया गया कि आर०जी०एम०वी०पी० के अनुभव के आधार पर एन०आर०एल०एम० के अन्तर्गत उत्तराखण्ड रिसोर्स विकासखण्ड में कार्य करने के लिये अधिप्राप्ति नियमावली में कन्सलटेन्ट फर्म चयन की प्रक्रिया में शिथिलता प्रदान कर उक्त संस्था का चयन single source selection द्वारा किये जाने हेतु नियम एवं पंचायती राज्य ग्राम्य विकास एवं सूचना उत्तराखण्ड शासन शर्ते तथा दरों के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाय।

३०/३/१५

२०/३/१५

१

२

2. शासनादेश संख्या 3610 दिनांक 3 सितम्बर, 2013 के माध्यम से यू0एस0आर0एल0एम0 के ढांचे में राज्य मिशन प्रबन्धन मानव संसाधन एण्ड जेण्डर विकास का पद सृजित किया गया था उक्त पद को राज्य मिशन प्रबन्धक वित्तीय समावेशन के पद पर परिवर्तन करने हेतु दिनांक 21-7-2014 को आहूत एस0पी0एम0यू0 की कार्यकारी निकाय की बैठक में अनुमोदन लिया गया था उक्त प्रकरण पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा कार्यकारी निकाय को अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्य स्तर पर राज्य मिशन प्रबन्धक मानव संसाधन तथा जेण्डर विकास का पद की नितान्त आवश्यकता है तथा यह पद पूर्व ही वित्त विभाग की सहमति से यू0एस0आर0एल0एम0 ढांचे में स्वीकृत है। अतः उक्त पद को पूर्व स्वीकृत ढांचे के अनुसार ही यथावत बनाया रखा जाय जिसपर कार्यकारी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या 2:- एन0आर0एल0एम0 की वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्ययोजना पर अनुमोदन

यू0एस0आर0एल0एम0 की वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा कार्यकारी निकाय के सदस्यों के सम्मुख किया गया। कार्यकारी निकाय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु यू0एस0आर0एल0एम0 की वार्षिक कार्ययोजना जिसकी कुल प्रस्तावित लागत 32.58 करोड़ है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु ₹0 15.00 करोड़ की धनराशि का भी प्राविधान किया गया है, पर अनुमोदन प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु कार्यकारी निकाय द्वारा यू0एस0आर0एल0एम0 हेतु अनुमोदित बजट का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

क्रसं	घटक	प्रस्तावित प्रस्ताव		
		केन्द्र	राज्य	योग
1.	एन0आर0एल0एम0— तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, आई.बी.सी.बी., रिवोल्विंग फण्ड, सी0आई0एफ0, इत्यादि	789.06	263.02	1052.08
2.	ब्याज उपादान	58.07	19.36	77.43
योग		847.13	282.38	1129.51
3.	प्रशासनिक मद (अतिरिक्त आवंटन)	132.36	44.12	176.48
4	आरसेटी	116.07	-	116.07

5	सरस मेला	35.00	-	35.00
6	अवस्थापना एवं विपणन	225.70	75.23	300.93
योग		1356.26	401.73	1757.99
7	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	1125	375	1500
कुल योग		2481.3	776.73	3257.99

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु यूएस0आर0एल0एम0 के भौतिक लक्ष्यों प्रस्तुतीकरण दिया गया, जो निम्नानुसार हैः—

घटक	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु लक्ष्य
सघन विकास रणनीति विवरण	
जनपद	6
विकासखण्ड	15
ग्राम पंचायतें	1230
ग्राम	2460
स्वयं सहायता समूह गठन लक्ष्य	
यूएस0आर0एल0एम0 द्वारा गठन	800
यूएस0आर0एल0एम0 द्वारा पुर्नगठित	400
कुल गठन /पुनर्गठित समूह	1200
समूहों को आधारभूत प्रशिक्षण	800
उचित बुक कीपिंग प्रैक्टिस आरम्भ	800
पंचसूत्र का पालन	1000
बुक कीपर प्रशिक्षण	800
मार्स्टर बुक कीपर प्रशिक्षण	100
आडिट किये जाने वाले एस0एच0जी	200
चयनित सक्रिय महिलाओं की संख्या	200
सघन विकासखण्डों में प्रशिक्षण प्राप्त आन्तरिक सी0आर0पी0	100
असघन विकासखण्डों में पी0आर0पी0 का आन्तरिक प्रशिक्षण	100

चयनित बैंक मित्रों की संख्या	48
एस.एच.जी में कुल गतिशील परिवारों की संख्या	12000
एस.एच.जी. में कुल अनुजाति परिवारों की संख्या	2280
एस.एच.जी. में गतिशील कुल अनुज0ज0जाति परिवारों की संख्या	480
एस.एच.जी. में गतिशील कुल पी0डब्ल्यू0डी परिवारों की संख्या	10
पी0आई0पी0 पूर्ण ग्रामों की संख्या	270
पी0आई0पी0 पूर्ण ग्राम पंचायतों की संख्या	135
चिन्हित अतिगरीब परिवारों संख्या	2000
चिन्हित गरीब परिवारों की संख्या	8000
चिन्हित नॉन गरीब परिवारों की संख्या	2000
चिन्हित विकलांग व्यक्तिओं के सदस्यों वाले परिवार	10
बैंक खाता खोलने वाले नये एस0एच0जी0	800
बैंक खाता खोलने वाले अन्य एस0एच0जी0	400
कुल बैंक खाता खोलने वाले एस0एच0जी	1200
रिवोल्विंग फण्ड प्राप्त करने वाले नये एस.एच.जी	640
रिवोल्विंग फण्ड प्राप्त करने वाले अन्य एस.एच.जी.	200
कुल रिवोल्विंग फण्ड प्राप्त करने वाले एस.एच.जी	840
माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार करने वाले एस0एच0जी0	400
एस0आर0एल0एम0 के द्वारा प्रत्यक्ष सी0आई0एफ0 प्राप्त करने वाले एस0एच0जी0	200
ग्राम संगठन के माध्यम से सी0आई0एफ0 प्राप्त करने वाले एस0एच0जी0	100
कुल सी0आई0एफ0 प्राप्त करने एस0एच0जी0 की संख्या	300
कुल ग्राम संगठनों का गठन	20
कुल वलस्टरों का गठन	3
बैंक लिंकेज वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या	500

उपरोक्तानुसार कार्यकारी निकाय द्वारा यू0एस0आर0एल0एम0 की वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का अनुमोदन देते हुये ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषण करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही— एस0पी0एम0यू0, यू0एस0आर0एल0एम, ग्राम्य विकास)

बिन्दु संख्या 3:- एस०पी०एम०य००—य००एस०आर०एल०एम० के आय-व्ययक पर चर्चा तथा अनुमोदन

एस०पी०एम०य००—य००एस०आर०एल०एम० के वित्तीय वर्ष 2014–15 का आय-व्ययक पर निम्न विवरणानुसार कार्यकारी निकाय के समक्ष चर्चा की गयी –

क्र० सं०	मद	प्राप्तियाँ			भुगतान	अवशेष धनराशि (28 फरवरी, 2015)
		प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त धनराशि	योग		
1	एन०आर०एल०एम					
1.1	राज्य आजीविका सपोर्ट०				73.63	
1.2	संस्थागत एवं क्षमता विकास	711.02	133.22	844.24	10.61	
1.3	सामुदायिक निवेश निधि				12.20	
1.4	परियोजना क्रियान्वयन सपोर्ट				6.63	
1.5	अवस्थापना तथा विपणन सपोर्ट				129.42	1280.22
2	एस०जी०एस०वाई० अवशेष	611.69	79.85	691.54	99.00	
3	ब्याज उपादान	18.37		18.37	0.00	
4	आरसेटी	61.96		61.96	4.60	
कुल योग		1403.04	213.07	1616.11	336.09	1280.22

वित्तीय वर्ष 2014–15 में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अब तक निम्नानुसार प्रगति प्राप्त की गयी:—

Sl.No.	Components	Target for FY 14-15	Achievement	
			Up to 10 th March'15	By Mar'15 (Expected)
1	Number of Districts in which Intensive Strategy is being Implemented	6	6	6
2	Number of Blocks in which Intensive Strategy is being Implemented	15	10	10
3	Number of villages in which intensive strategy initiated	690	237	250
4	Number of new SHGs promoted by SRLM	350	225	337
5	Number of other SHGs brought into the NRLM fold (after revival/strengthening/compliance checks)	700	574	264
6	Total number of SHGs under NRLM fold	1050	799	820
7	Number of SHGs provided basic training	-	451	601
8	Number of SHGs in which standard bookkeeping practices introduced	-	150	200
9	Number of SHGs following Pancha Sutra	1050	799	820

10	Number of Internal CRPs trained in the intensive blocks	120	102	140
11	Total Households mobilized into all SHGs	7350	7190	7350
12	Number of new SHGs promoted that have opened Saving bank A/c	600	211	300
13	Number of new SHGs provided with RF	200	131	201
14	Number of revived SHGs provided with RF	100	240	255
15	Number of Total SHGs provided RF	300	371	456
16	Number of other SHGs that have opened bank accounts	400	554	264
17	Number of VOs formed	25	0	2
18	Number of VOs provided training on basic VO management	10	0	2
19	Number of VOs that have opened bank account	10	0	2

उपरोक्तानुसार कार्यकारी निकाय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के भौतिक एवं आय व्ययक पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या 4— यू०एस०आर०एल०एम० में पदों के सृजन पर चर्चा तथा अनुमोदन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कार्यकारी निकाय को अवगत कराया गया कि वर्तमान में यू०एस०आर०एल०एम० में राज्य स्तर पर एस०पी०एम० वित्तीय समावेशन, सहा० मिशन प्रबन्धक, (प्रोक्योरमेन्ट), एस०पी०एम० (आई०बी०सी०बी०), एस०पी०एम० (आई०ई०सी०), व्यैक्तिक सहायक तथा कम्प्यूटर आपरेटर सह परियोजना सहायक एवं अनुसेवक का पद सृजित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। जिससे राज्य स्तर पर यू०एस०आर०एल०एम० का कियान्वयन सुचारू रूप से किया जा सके। अध्यक्ष कार्यकारी निकाय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त पदों में से वर्तमान में एक राज्य मिशन प्रबन्धक(आई०ई०सी०) के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया की जाय। साथ ही व्यैक्तिक सहायक तथा कम्प्यूटर आपरेटर सह परियोजना सहायक एवं अनुसेवक के पदों पर यथा नियमानुसार नियुक्ति कर ली जाय।

(कार्यवाही— एस०पी०एम०यू०, यू०एस०आर०एल०एम, ग्राम्य विकास)

बिन्दु संख्या 5 :— एस०पी०एम०यू० के वित्तीय वर्ष 2015–16 के वार्षिक बजट पर अनुमोदन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०एस०आर०एल०एल० एस०पी०एम०यू०, ग्राम्य विकास के वित्तीय वर्ष 2015–16 के वार्षिक बजट के सम्बन्ध में कार्यकारी निकाय को अवगत कराया गया कि रु० 35.00 लाख मदवार प्रस्ताव अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय पौड़ी को दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को पत्रांक 177 / 12 / पी०एम०यू० आर०डी० / 2002 के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। जिसपर कार्यकारी निकाय का अनुमोदन निवेदित है।

कार्यकारी निकाय द्वारा एस०पी०एम०य०, ग्राम्य विकास के वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित वार्षिक बजट पर अनुमोदन प्रदान किया गया:—

क्र० सं०	मद	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु धनराशि की मांग	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये मदवार मांग प्रस्ताव
1	एस०पी०एम०य० ग्राम्य विकास में तैनात अधिकारियों/कार्मिकों का वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय		25.00
2	लेखन सामग्री एवं अन्य कार्यालय व्यय		4.00
3	कम्प्यूटर अनुश्रवण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	35.00	2.00
4	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान		4.00
योग		35.00	35.00

बिन्दु संख्या 6:— अन्य बिन्दुओं पर चर्चा एवं निर्णय

- 6.1 अपर सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा कार्यकारी निकाय को अवगत कराया गया कि य०एस०आर०एल०एम में कार्यरत कार्मिकों के क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्षेत्र में ठहरने तथा दैनिक भत्ता अत्यन्त न्यून है तथा य०एस०आर०एल०एम० के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इसकी वृद्धि पर विचार किया जाना आवश्यक है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि एस०पी०एम० द्वारा सी०आर०पी० राउण्ड के दौरान सी०आर०पी० तथा अन्य सामुदायिक काउंटर के प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय भ्रमण पर सूक्ष्म जलपान आदि की व्यवस्था हेतु अधिकतम रु० 500.00 प्रतिदिन करने पर वास्तविक बिल सत्यापन के आधार पर व्यय करने हेतु अधिकृत किया जाय कार्यकारी निकाय द्वारा निर्णय लिया गया कि य०एस०आर०एल०एम० में कार्मिकों के क्षेत्र भ्रमण के दौरान ठहरने एवं यात्रा भत्ता आदि एन०एम०एम०य०, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में प्रचलित दरों का उपयोग कर लिया जाय। साथ ही एस०पी०एम० द्वारा सी०आर०पी० राउण्ड के दौरान सी०आर०पी० तथा अन्य सामुदायिक काउंटर के प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय भ्रमण पर सूक्ष्म जलपान आदि की व्यवस्था हेतु अधिकतम रु० 500.00 प्रतिदिन करने पर वास्तविक बिल सत्यापन के आधार पर व्यय करने हेतु अधिकृत करने पर भी कार्यकारी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही— एस०पी०एम०य०, य०एस०आर०एल०एम, ग्राम्य विकास)

- 6.2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, द्वारा अवगत कराया गया कि हिमोत्थान, एस०आर०टी०टी० जो एन०आर०एल०एम० में दो विकासखण्डों जनपद चमोली के कर्णप्रयाग एवं जनपद पिथौरागढ़

के धारचूला विकासखण्ड में Partnership Strategy के तहत कार्य किया जा रहा है। एस०पी०एम०य० की कार्यकारी निकाय के सदस्य न होने के कारण उनके कार्यों की समीक्षा किया जाना कठिन हो रहा है। कार्यकारी निकाय द्वारा निर्णय लिया गया कि एस०आर०टी०टी०, हिमोत्थान संस्था को एस०पी०एम०य०, य०एस०आर०एल०एम० की कार्यकारी निकाय का सदस्य नामित किया जाय।

(कार्यवाही— एस०पी०एम०य०, य०एस०आर०एल०एम, ग्राम्य विकास)

- 6.3 शासनादेश संख्या 454 / 64 / य०एस०आर०एल०एम० / 2014 दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 के द्वारा जारी निर्देश जो कि सी०आर०पी० को अन्तर्रिम व्यवस्था के तहत प्रति एस०एच०जी० गठन एवं रिवोल्विंग फण्ड प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त रु० 2000/- मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में है पर कार्यकारी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

- 6.4 य०एस०आर०एल०एम० लेखाकार के पदनाम को प्रबन्धक लेखा के पदनाम में परिवर्तित किये जाने पर कार्यकारी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही— एस०पी०एम०य०, य०एस०आर०एल०एम, ग्राम्य विकास)

- 6.5 जी०आई०जैड परियोजना से प्राप्त कार्यालय सामग्री उपकरण जैसे (फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि) का य०एस०आर०एल०एम० द्वारा यथा आवश्यकतानुसार राज्य/य०एस०आर०एल०एम०/ जनपद/विकासखण्ड स्तर पर उपयोग किये जाने हेतु कार्यकारी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही— एस०पी०एम०य०, य०एस०आर०एल०एम, ग्राम्य विकास)

- 6.6 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, द्वारा अवगत कराया गया कि य०एस०आर०एल०एम० सामुदायिक संगठनों (एस०एच०जी०) ग्राम संगठन तथा क्लस्टर स्तरीय संगठनों तथा सामुदायिक काडर हेतु के क्षमता विकास एवं संस्थागत विकास के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न अनुभवी एवं दक्ष प्रोफेशनल जिन्हें सम्बन्धित क्षेत्र का व्यापक अनुभव हो का राज्य स्तर पर एक रिसोर्स पूल बनाया जाना आवश्यक है जिनका उपयोग समय—समय पर प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास हेतु किया जायेगा। इस हेतु अपर सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा पूर्व में निर्देश दिये गये थे। उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही— एस०पी०एम०य०, य०एस०आर०एल०एम, ग्राम्य विकास)

अंत में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

S
(एस०राज०)

अपर मुख्य सचिव/अध्यक्ष कार्यकारी निकाय


राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई

उत्तराखण्ड

पंत्राक 627/16 / यू0एस0आर0एल0एम0 / 2013 दिनांक: 23 मार्च, 2015

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त सम्मानित सदस्य, कार्यकारी निकाय, यू0एस0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास।
5. गार्ड फाईल

 23/3/2015
(डी0आर0जोशी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक
13 मार्च, 2015 को एस०पी०एम०य०० की कार्यकारी निकाय की बैठक का उपस्थिति
विवरण

क्र सं	नाम	पदनाम	विभाग / संस्था का नाम	ई-मेल	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	श्री विनोद फोनिया	सचिव,	ग्राम्य विकास	dr.vinodphoniyaa@gmail.com		
2	श्रीमति ज्योति नीरज खैरवाल	अपर सचिव	ग्राम्य विकास		7536518811	
3	डॉ. आर. जोशी	C.E.O SKLM	ग्राम्य विकास	dr.joshiar@gmail.com	9560120777	
4	राजीव कुमार सिंह बांठा	CPM-ILSP IFAD.	UGVS	cpmeugvs.org	9634222849	
5	उमा बी. लोहिंद माधव	उप सचिव	उप सचिव	umabohindmaudav@gmail.com	9412987580	
6	उमा कौर डॉ. शर्मा	अपर निदेशक स्वास्थ्य	चिकित्सा स्वास्थ्य	dr.kushsharma19@gmail.com	9412995475	
7	राजेन्द्र कुमार	संचालक	M.S.M.E	adideliuk@yahoo.com	9458633436	R.R.
8	मारुद कुमार	उप सचिव	RBII	kohwarzad@rbii.org.in	9455583418	8.5
9	अनिल लाल वर्मा	मन्त्री सचिव	Gouvt. of Uttarakhand	anil.lal.verma@ceshal.co.in	9410529117	A
10	पुराण रेण्डी	म.स.इ.	HABRI	ingel311@gmail.com	8881001168	D
11	मुमुक्षु गांगेन्द्र	मन्त्री सचिव		gagancharan@gmail.com		
12	सरोज घोषा	स.प्र.क.	सरकारी	salibali.com	945669408	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						